

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक - 2481 / 1198 / 09 / 12 / 1

भोपाल, दिनांक - 30/5/09

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - सीहोर,
मध्यप्रदेश।

कलेक्टर, सविषय:-
शाखा... खनिज
- 5 JUN 2009
कलेक्टर अतिरिक्त

विषय:- सड़क निर्माण/मरम्मत में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी निर्धारण पर मार्गदर्शन।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 419/खनिज/2009 दिनांक 06.05.2009.

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। विभागीय निर्देश क्रमांक एफ 19-39/2002/12/1 भोपाल, दिनांक 22.10.08 की छायाप्रति संलग्न है, जिससे सभी जिलों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा चुका है। निर्देशानुसार लेख है कि म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत ही रायल्टी की वसूली सुनिश्चित की जावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(एस. के. शिवानी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग

251/
6-6-09

2
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ. 19-39/2002/12/1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/10/08

समस्त कलेक्टर
जिला-
मध्यप्रदेश

विषय:- सड़क निर्माण/मरम्मत में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी के निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक निर्देश दिनांक 14.8.02 एवं दिनांक 4.9.06

शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि विभिन्न निर्माण विभागों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्य में सिलेक्टेड स्वाइल का प्रायः उपयोग किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.8.02 द्वारा साधारण मिट्टी के निर्माण कार्य में उपयोग होने पर रायल्टी से छूट प्रदान की गई है। निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सिलेक्टेड स्वाइल को साधारण मिट्टी के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। सिलेक्टेड स्वाइल पर रायल्टी की वसूली मुरम खनिज पर देय रायल्टी की दर के अनुरूप की जाए।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग